Result Mitra Daily Magazine

भारतीय चुनाव आयोग

➢ हालिया संदर्भ :

- हाल ही में संपन्न 18वीं लोकसभा के चुनावों से लेकर जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तिथियों की घोषणा सहित भारतीय चुनाव आयोग (ECI) भारत में विभिन्न चुनावों को स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

➢ भारतीय चुनाव आयोग (ECI) :

- यह एक संवैधानिक (जिसकी चर्चा संविधान में है), स्थायी और स्वतंत्र प्राधिकरण है, तो विभिन्न चुनावों को करवाने के लिये जिम्मेदार है।
- ECI संसद (राज्यसभा एवं लोकसभा), राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के निर्वाचन के साथ-साथ राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये चुनावों का प्रबंधन करता है।

Note :- विभिन्न राज्यों में स्थानीय निकाय के चुनावों जैसे नगरपालिका एवं पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। इसका गठन विभिन्न राज्यों द्वारा किया जाता है तथा यह भी ECI की तरह संवैधानिक संस्था है।

➢ संविधान सभा में ECI :

- यह दिलचस्प तथ्य है कि संविधान सभा में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के निर्देशानुसार, मौलिक अधिकारों से संबंधित एक समिति ने प्रस्ताव दिया था कि चुनावों की स्वतंत्रता और विधायी चुनावों में कार्यकारी हस्तक्षेप की रोकथाम को मौलिक अधिकार का भाग बनाया जाना चाहिए, जिसका सभा में कोई विरोध भी नहीं हुआ।
- हालांकि कुछ सदस्यों के आग्रह पर प्रारूप समिति ने इसे मूल अधिकार में शामिल किए जाने के बजाय एक अलग भाग (भाग-XV) में डाल दिया।

➢ संवैधानिक उपबंध :

- ECI से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग-XV में अनुच्छेद 324-329 तक उपबंधित है।

1. अनुच्छेद - 324 :

- संसद एवं प्रत्येक राज्य के विधानमंडल (जहाँ विधान परिषद है) के लिये सभी चुनावों एवं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिये चुनावों के संबंध में मतदाता सूची तैयार करना, उनका अधीक्षण, निगरानी एवं निर्देशन करना।

2. अनुच्छेद-325 :

- किसी भी व्यक्ति को धर्म, लिंग, नस्ल, जाति, रंग के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाएगा, अर्थात मतदान करने से वंचित नहीं किया जाएगा।

Note :- विशेष परिस्थिति में लोगों को मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद मतदान करने से वंचित किया जा सकता है, जिसमें शामिल है :-

- भ्रष्ट आचरण में दोषी पाए गए लोग,
- जेल में बंद कैदी (विचाराधीन या दोषी करार दिए जा चुके हो), हालांकि जिन्हें गुंडा एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट (NSA) एवं विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियों की रोकथाम एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है, वे बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

➢ पोस्टल वोटिंग :

- भारत में कुछ लोगों को डाक सेवा द्वारा मतदान (पोस्टल वोटिंग) का भी अधिकार प्राप्त है, जिसमें शामिल है :-

1. सशस्त्र बलों के सदस्य
2. सेना एक्ट, 1950 के तहत आने वाले सभी बल के सदस्य

Result Mitra TM

3. सशस्त्र बलों के सभी कर्मचारी
4. राज्य पुलिस बल के सदस्य, अगर वे राज्य से बाहर ड्यूटी पर हैं।
5. 85 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र के व्यक्ति
6. चुनाव में व्यस्त कर्मी
7. भारत सरकार के अधीन किसी पद पर भारत से बाहर कार्य करने वाला व्यक्ति

Note :- मताधिकार का प्रयोग करना वैधानिक/कानूनी अधिकार है।

3. अनुच्छेद-326 :

- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।
- 61वें संविधान संशोधन एक्ट 1989 द्वारा मताधिकार की उम्र सीमा (न्यूनतम) 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

4. अनुच्छेद-327 :

- संसद के पास यह अधिकार होगा कि वह समय-समय पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बना सके।

5. अनुच्छेद-328 :

- किसी राज्य का विधानमंडल समय-समय पर राज्य विधानमंडल के सदन/सदनों के चुनावों से संबंधित सभी मामलों पर उपबंध बना सकता है।

6. अनुच्छेद-329 :

- यह अनुच्छेद न्यायलयों को चुनावी मामलों में शामिल होने से रोकने का प्रावधान करता है।

Note :-राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से जुडे चुनावी विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है।

- संसद सदस्यों के अयोग्यता (दल-बदल एक्ट के सिवाय) का निर्धारण ECI से सलाह लेकर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

➢ कार्य एवं अधिकार क्षेत्र :

- ECI के कार्य एवं अधिकार क्षेत्र को सलाहकारी, अर्द्ध-न्यायिक एवं प्रशासनिक में वर्गीकृत किया जा सकता है :

➢ सलाहकारी :-

Result Mitra TM

- संविधान ECI को संसद एवं उच्च विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों की चुनाव के बाद अयोग्यता पर सलाहकारी शक्ति प्रदान करता है।
- जब किसी व्यक्ति को चुनाव के दौरान भ्रष्ट गतिविधियों में संलग्नता के आधार पर HC या SC में लाया जाता है तो उसके चुनाव लडने संबंधी योग्यता/अयोग्यता (यदि अयोग्यता हो तो कितने समय के लिये) का निर्धारण करने के संबंध में भी ECI से सलाह लिया जाता है।
- उपरोक्त मामलो में राष्ट्रपति या राज्यपाल ECI की सलाह को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं।

➢ अर्द्ध-न्यायिक :

- ऐसा कोई उम्मीदवार, जो नियत समय-सीमा में चुनाव खर्चे का ब्यौरा देने में असफल रहता है तो ECI उसे अयोग्य करार दे सकता है।
- ECI के पास उपरोक्त अयोग्यता प्रावधान के साथ-साथ अन्य कानूनी अयोग्यता के समय-सीमा को घटाने या समाप्त करने का अधिकार भी है।
- यह राजनीतिक दलों को मान्यता (राष्ट्रीय, राज्य स्तर या क्षेत्रीय पार्टी के रूप में) देने का अधिकारी है, साथ ही दलों के चुनाव चिन्ह से संबंधित विवादों का निपटारा भी करने का अधिकारी है।
- यह आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) स्थापित करता है और सुनिश्चित करता है कि सभी दल एवं उम्मीदवार इसका पालन करें।
- MCC के उल्लंघन के मामले में यह कारवाई भी कर सकता है।

➢ प्रशासनिक :

- यह चुनाव पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिये भी जिम्मेदार है।
- प्रिसीमन के तहत परिसीमन आयोग के द्वारा राज्य विधानसभा एवं लोकसभा के निर्वाचन सीटों एवं सीमाओं का सीमांकन किया जाता है, जिसका मूल उद्देश्य प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या आनुपातिक करना है।
- यह मतदाता सूची तैयार करता है, त्रुटियों को दूर करने के लिये इसे अपडेट भी करता है।
- यह चुनावी कार्यक्रम तय करता है एवं नामांकन दस्तावेज (उम्मीदवार) की समीक्षा करता है।
- यह हिंसा, बूथ कैप्चरिंग या अन्य विसंगतियों के आधार पर चुनाव अमान्य भी कर सकता है।
- यह राजनीतिक दल द्वारा उम्मीवार के अभियान पर खर्च किये जाने वाले धन-राशि का भी नियंत्रण करता है।
- यह चुनावों को बेहतर तरीके से संपादित करवाने के लिये विभिन्न अधिकारियों जैसे-चुनाव प्रभारी, जिला चुनाव अधिकारी, चुनाव पंजीकरण अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी को नामित करता है।

Result Mitra

➢ संरचना :

- ECI की स्थापना यानि 1950 से 1989 तक यह एक सदस्यीय संख्या रहा, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEO) होता था।
- 1989 में मतदान की न्यूनतम सीमा 18 वर्ष कर दी गई, जिसमें कार्यभार बढ गया और इसमें 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को शामिल कर इसे त्रि-सदस्यीय बना दिया गया।
- पुनः जनवरी 1990 में ECI को मूल संरचना में वापस लाते हुए एक सदस्यीय बना दिया गया, लेकिन काफी लंबे विचार विमर्श के बाद 1993 में इसे त्रि-सदस्यीय बना दिया गया, जो वर्तमान तक इसी स्वरूप में है।

➢ नियुक्ति और पदावधि :

- CEC सहित अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त (EC) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- CEC एवं EC के कार्यकाल एवं सेवा की अन्य शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- तीनों निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के समान वेतन एवं अन्य लाभ प्राप्त होते हैं।
- महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि तीनों निर्वाचन आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं एवं मतभेद की स्थिति में कोई भी निर्णय बहुमत से लिया जाता है।
- CEC एवं EC अपने पद पर 65 वर्ष की उम्र सीमा या पद धारण करने से 6 वर्ष, जो भी पहले हो, तक पद धारण करते हैं।

➢ पद से हटाना :

- वरीयता क्रम में सभी निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होते हैं तथा इन्हें पद से हटाने के लिये वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिये अपनाया जाता है।
- अर्थात दोनों सदनों (राज्य एवं लोकसभा) के द्वारा दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर लाए गए प्रस्ताव को विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होने पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है।

➢ वर्तमान स्थिति :

- वर्तमान में श्री राजीव कुमार भारत के CEC है, जबकि सुखवीर सिंह संधु एवं ज्ञानेश कुमार अन्य दो EC है।

TM Result Mitra

➢ भारत के CEC :

क्रम	नाम	अवधि
1	सुकुमार सेन	21 Mar1950 – 19 Dec 1958
2	वी.के. सुंदरम	Dec 1958 – Sep 1967
3	एस.पी. सेन वर्मा	Oct 1967 – Sep 1972
4	डॉ. नागेन्द्र सिंह	Oct 1972 – Feb 1973
5	टी. स्वामीनाथन	Feb 1973 – June 1977
6	एस.एल. शकधर	June 1977 – June 1982
7	आर.के. त्रिवेदी	June 1982 – Dec 1985
8	वी.एस. पेरी शास्त्री	Jan 1986 – Nov 1990
9	वी.एस. रमादेवी	Nov 1990 – Dec 1990
10	टी.एन. शेषन	Dec 1990 – Dec 1996
11	एम.एस. गिल	Dec 1966 – June 2001
12	जे.एम. लिंगदोह	June 2001 – Feb 2004
13	टी.एस. कृष्णमूर्ति	Feb 2004 – May 2005
14	वी.वी. टंडन	May 2005- June 2006
15	एन. गोपालस्वामी	June 2006 – Apr 2009
16	नवीज बी.चावला	Apr 2009 – July 2010
17	एस. वाई. कुरैशी	July 2010 – June 2012
18	वी.एस. संपत	June 2012- Jan 2015
19	एच. एस. ब्रह्मा	Jan 2015 – Apr 2015
20	नसीम जैदी	Apr 2015 – July 2017
21	ए.के. जोति	July 2017 – Jan 2018
22	ओ.पी. रावत	Jan 2018 – Dec 2018
23	सुनील अरोडा	Dec 2018- Apr 2021
24	सुशीला चंद्रा	Apr 2021- May 2021

Note :- वी. एस. रमादेवी वर्तमान तक एकमात्र महिला CEC रही है।